संख्या-51/2020/2960/22-2-2019-17(61)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार,आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष पुत्र श्री कल्याण जाट, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 26.09.2019 दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी सुभाष पुत्र श्री कल्याण जाट, जो ग्राम-फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुई हत्या का बदला लेने की नियत से दिनांक 12.01.2000 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमंचा व रायफल से फायर करके 08 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-342, 344/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखा गया जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी सुभाष (बन्दी संख्या-8242) पुत्र श्री कल्याण जाट, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2020/2960(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in